यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सेंट मैरी हास्पिटल, मसूरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सेंट मैरी हास्पिटल, मसूरी** के माह 12/2015 से माह 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, एवं श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2017 से 21.01.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक अधिकारी दिनांक 05.12.2015 से 09.12.2015 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह दिसम्बर 2015 से दिसम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(अ) इकाई द्वारा मसूरी परीक्षेत्र के मरीजों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	शून्य	शून्य	163.55	151.90	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2014-15	शून्य	शून्य	157.05	155.56	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	195.54	195.54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- अवशेष धनराशि वर्षात में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(III) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (स) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

1. सचिव- स्वास्थ्य
2. महानिदेशक - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3. निदेशक - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सेंट मैरी हास्पिटल, मसूरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सेंट मैरी हास्पिटल, मसूरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- वित्तीय नियमों का उल्लघंन कर निष्प्रयोज्य सामग्रियों का नीलामी न किया जाना।

चिकित्सालय सेन्ट मैरी, मसूरी के लेखाभिखों की जांच में यह प्रकाश में आया कि चिकित्सालय के उपयोग के लिए प्रदत्त एम्बुलेंस गाड़ी संख्या यू.पी. 07 बी 8863 मारूती जिप्सी विनिर्माण वर्ष 1993 के लाग बुक में अंतिम बार 27.01.2015 को गाड़ी के सेन्ट मैरी चिकित्सालय से सी.एच.सी रायशी तक चलने के संबंध में अंकन किया गया था, इसके उपरांत वाहन निष्प्रयोज्य पड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय के स्टोर एवं स्टॉक के निरीक्षण में यह भी प्रकाश में आया कि 150 से अधिक सर्जिकल एवं पैथोलॉजी एवं चिकित्सालय उपयोग की अन्य सामग्रियों को वर्ष 2015 में निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था। परन्तु उपरोक्त सामग्रियों की अभी तक नीलामी नहीं किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के नियम 260 के अनुसार Whenever it appears that the articles borne on stock or tools and plant including motor vehicles are either in excess of the requirement of the department or have become unserviceable and unfit for further use, the matter should immediately be reported to the competent authority who should arrage for inspection of the articles and decide if they should be auctioned" तथा इकाई द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद सामग्रियों की नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। जिससे समय के साथ-साथ सामग्रियों के मूल्य में लगातार अवमूल्यन हो रहा है।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि सामग्रियों की नीलामी की कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी।

इस प्रकार वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर निष्प्रयोज्य सामग्रियों का नीलामी न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
138/2015-16	-----	1
163/2013-14	-----	1,2

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

----------NIL----------

<u>भाग-V</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सेंट मैरी हास्पिटल, मसूरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. **सतत् अनियमितताएः-**

(अ) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्र.सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1.	श्री विनोद कुमार नौटियाल	मु.चि.अधी.	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सेंट मैरी हास्पिटल, मसूरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)